

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 26.04.2024

01 अदद अवैध पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 दीपमंजरी पाण्डेय मय टीम द्वारा अभियुक्त राजू सिंह उर्फ झिनकू सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह निवासी ग्राम बघाड़ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को 01 अदद पिस्टल 0.32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 245/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजू सिंह उर्फ झिनकू सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह निवासी ग्राम बघाड़ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 79/2005 धारा 308/333/427/504 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 86/2010 धारा 147/323/379/452 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 96/2010 धारा 307/504 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 131/2010 धारा 7 क्रिमि0लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट व 147/148/149/307 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 132/2010 धारा 307 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 105/2010 धारा 3(1) यू0 पी0 गैंग एक्ट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 119/2005 धारा 3(1) यू0 पी0 गैंग एक्ट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 127/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

01 अदद पिस्टल 0.32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी की टीम-

1. म0उ0नि0 दीप मंजरी पाण्डेय चौकी प्रभारी नौकायन थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर
2. हे0का0 ऋषिमुनी चौधरी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. हे0 का0 संदीप कुमार पाण्डेय थाना रामगढ़ताल गोरखपुर